रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003--26 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—26

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-01082026-275039
CG-DL-W-01082026-275039

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 1—अगस्त 7, 2026 (श्रावण 10, 1948)
No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 1—AUGUST 7, 2026 (SRAVANA 10, 1948)

**इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।**
**(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)**

## विषय-सूची


| | पृष्ठ सं. |
|---|---|
| भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं. ..... | 365 |
| भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं. ..... | 761 |
| भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं. ..... | 1 |
| भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं. ..... | 1029 |
| भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम. ..... | * |
| भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. ..... | * |
| भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट. ..... | * |
| भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं). ..... | * |
| भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं. ..... | * |
| भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं). ..... | * |
| भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश. ..... | * |
| भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं. ..... | 2795 |
| भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस | * |
| भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं. ..... | * |
| भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं. ..... | 1 |
| भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. ..... | 6131 |
| भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक. ..... | * |


*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS


| | Page No. |
|---|---|
| PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court | 365 |
| PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court | 761 |
| PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence | 1 |
| PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence | 1029 |
| PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations | * |
| PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations | * |
| PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills | * |
| PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) | * |
| PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) | * |
| PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) | * |
| PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence | * |
| PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India | 2795 |
| PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs | * |
| PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners | * |
| PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies | 1 |
| PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies | 6131 |
| PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi | * |


*Folios not received.

# भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

## [(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

## [Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

---

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई 2026

सं. 10-3/2026-यू.3(ए)—जबकि, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान (सम विश्वविद्यालय), बैंगलोर, कर्नाटक ने यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार तिरुवनंतपुरम, केरल में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने के लिए यूजीसी पोर्टल पर अपना ऑनलाइन आवेदन अपलोड किया था।

2. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 08.05.2026 के अपने पत्र संख्या 26-1/2026 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि आवेदन की स्थायी समिति द्वारा जांच की गई थी, जिसने कुछ शर्तों के साथ स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, बैंगलोर, कर्नाटक को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की थी। तदनुसार, मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर तिरुवनंतपुरम, केरल में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने से पहले 3 वर्ष की अवधि के भीतर कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान (सम विश्वविद्यालय), बैंगलोर, कर्नाटक को दिनांक 01.06.2026 को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया।

3. और आगे जबकि, कुलसचिव, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, बैंगलोर, कर्नाटक ने दिनांक 03.06.2026 के पत्र के माध्यम से एलओआई की शर्तों को पूरा करने के लिए अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसे सत्यापन और आगे की सलाह के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेज दिया गया था। इसके जवाब में, यूजीसी ने दिनांक 09.07.2026 के पत्र संख्या 26-1/2026 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि अनुपालन रिपोर्ट स्थायी समिति द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। समिति की रिपोर्ट को यूजीसी के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया था।

4. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, एतद्वारा स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान (सम विश्वविद्यालय), बैंगलोर, कर्नाटक को तिरुवनंतपुरम, केरल में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने की मंजूरी देता है।

5. स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान (सम विश्वविद्यालय), बंगलौर, कर्नाटक इस मंत्रालय की पूर्व की अधिसूचनाओं में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों के साथ समय-समय पर जारी यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों के नियमों/विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा।

के.एम. प्रफुल्लचंद्र शर्मा
संयुक्त सचिव

---

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 23rd July 2026

No. 10-3/2026-U.3(A)—Whereas, Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana (Deemed to be University), Bangalore, Karnataka had uploaded its online application on UGC Portal to start an off-campus centre at Thiruvananthapuram, Kerala as per the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023.

2. And whereas, UGC, vide its letter No. 26-1/2026 (CPP-I/DU) dated 08.05.2026, informed that the application was examined by its Standing Committee, who recommended for issuance of Letter of Intent (LoI) to Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana, Bangalore, Karnataka with certain conditions. Accordingly, the Ministry, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LoI) dated 01.06.2026 to Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana (Deemed to be University), Bangalore, Karnataka for fulfilment of certain conditions within a period of 3 years before starting an off-campus centre at Thiruvananthapuram, Kerala.

3. And further whereas, the Registrar, Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana, Bangalore, Karnataka, vide letter dated 03.06.2026, submitted compliance report for fulfilment of the conditions of the LoI. The same was forwarded to UGC for verification and further advice. In response, UGC, vide letter No. 26-1/2026 (CPP-I/DU) dated 09.07.2026, informed that the compliance report was accepted by the Standing Committee. The report of the Committee was approved by the Chairman, UGC.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby accords approval to Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana (Deemed to be University), Bangalore, Karnataka to start an off-campus centre at Thiruvananthapuram, Kerala.

5. Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana (Deemed to be University), Bangalore, Karnataka shall abide by all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as provisions of the Rules/Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time.

K.M. PRAPHULLACHANDRA SHARMA
Joint Secretary

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.08.01 10:00:12 +05'30'